



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25052022-236021
CG-UP-E-25052022-236021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2260]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2022/ज्येष्ठ 4, 1944

No. 2260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2022/JYAISHTHA 4, 1944

रेल मंत्रालय

[उत्तरमध्य रेलवे (निर्माणविभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 23 मई, 2022

का.आ. 2381(अ).— केंद्र सरकार, रेल अधिनियम (1989 का 24) एवं रेलवे(संशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जो यहाँ उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य में पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. से प्रयागराज जं. के मध्य तीसरी लाइन को विशेष परियोजना के बाबत ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम अदि के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्यों का निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई)/ मिर्जापुर	मिर्जापुर

2.	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन)/ प्रयागराज	प्रयागराज
[ई.फा.सं.एन.सीआर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी./इला. (कम्प्यूटर सं.51223), दिनांक : 24.11.2021]		
शरद मेहता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (निर्माण)		

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 23rd May, 2022

S.O. 2381(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railway Amendment act 2008 (11 of 2008) (herein referred to as the said Act), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the table below as competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of 3rd line between Pt. Deen Dayal Upadhyay Jn. – Prayagraj Jn. in the state of Uttar Pradesh relating to districts mentioned in column (3) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Projects.

TABLE

Sl. No.	COMPETENT AUTHORITY	DISTRICT
(1)	(2)	(3)
1	Special Land Acquisition Officer (Irrigation), Mirzapur	Mirzapur
2	Special Land Acquisition Officer (Joint Organisation), Prayagraj	Prayagraj

[e-file No.NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD (Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]
SHARAD MEHTA, Chief Administrative Officer (Construction)